

दिनांक

आज्ञा पत्र

24.2.22

पत्रावली पेश। प्रकरण में रेस्पोंडेंट की तामील शेष है। इस हेतु अपीलान्त शेष रेस्पोंडेंट के रजिस्टर्ड नोटिस आज ही पेश करें। जो पेश होने पर जारी हो। तामि अपील का शीघ्रातिशीघ्र निस्तारण किया जा सके पत्रावली वारंते तलबी रिकार्ड दिनांक 12.4.22 को पेश हों।

*(Signature)*

12.4.22

पत्रावली प्रस्तुत वकील अपीलान्त/रेस्पों.उपस्थित पीठासीन अधिकारी महोदय आज 12.4.22 पर है। अतः पत्रावली पूर्व आजानुसार दिनांक 26.7.22 को पेश हो।

26.7.22

पत्रावली प्रस्तुत वकील अपीलान्त/रेस्पों.उपस्थित पीठासीन अधिकारी महोदय आज 26.7.22 पर है। अतः पत्रावली पूर्व आजानुसार दिनांक 29.8.22 को पेश हो।

29.8.22

पत्रावली पेश। वकील अपीलान्त को हिदायत दी जाती है कि आगामी तिथि से पूर्व तामील से शेष रेस्पोंडेंटस के रजिस्टर्ड नोटिस पेश करें अन्यथा आगामी तिथि पर आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत अपील खारिज कर दी जायेगी। तहत का रिकार्ड प्राप्त शामिल पत्रावली रहे / तलब किया जाये। पत्रावली वारंते तलबी दिनांक 7.11.22 को पेश हों। पत्रावली में पूर्व में यदि स्थगन है तो उसे आगामी तिथि तक बढ़ाया जाता है।

7.11.22

पत्रावली प्रस्तुत वकील अपीलान्त/रेस्पों.उपस्थित पीठासीन अधिकारी महोदय आज 7.11.22 पर है। अतः पत्रावली पूर्व आजानुसार दिनांक 26.12.22 को पेश हो।

26.12.22

पत्रावली प्रस्तुत अभिभाषक सघ ने आज न्यायिक कार्य स्थागित रखा। पत्रावली पूर्व आजानुसार दिनांक 29.3.23 को पेश हों।

29.3.23

पत्रावली पेश। वकील अपीलान्त को पूर्व पेजी पर हिदायत दी गई थी कि आगामी तिथि से पूर्व तामील से शेष रेस्पोंडेंटस के रजिस्टर्ड नोटिस पेश करें अन्यथा आगामी तिथि पर आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत अपील खारिज कर दी जायेगी। आज दिनांक तक अपीलान्त ने रेस्पोंडेंटस के रजिस्टर्ड नोटिस पेश नहीं किये बने हैं इससे स्पष्ट है कि अपीलान्त अपनी अपील के प्रति गम्भीर नहीं है। फलतस्म अपील खारिज आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत तामील की जाती है। निर्णय से आजानुसार पत्रावली पेश कर शेष होकर न्याय के काम होकर बंद कर दिया जायेगा तामिल वारंते तलबी को पेश हो।

